

Title: Need to provide compensation to farmers distressed due to crop loss caused by unseasonal rains, hailstorms in Kanpur Nagar and Kanpur Dehat districts in Uttar Pradesh and also take other measures to mitigate the sufferings of the farmers.

श्री देवेन्द्र सिंह भोले (अकबरपुर): विगत माह पूर्व हुई बेमौसम बरसात, भयंकर ओलावृष्टि एवं तूफानी हवाओं से पूरे क्षेत्र में तिलहनी एवं दलहनी फसलों का शत-प्रतिशत एवं गेहूं का 70 प्रतिशत से अधिक नुकसान हुआ है। भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किसानों के नुकसान की भरपाई के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद भी प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक आपदा राहत धनराशि का आबंटन पूर्ण नहीं हो पाया है जिसके कारण अधिकतर किसानों को अभी तक मदद नहीं मिल पायी है। इस प्राकृतिक आपदा से किसान की कमर टूट गई है तथा किसान असहाय हो गया है। यदि तत्काल इन्हें आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं हुई तो इनके सामने भूख से मरने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में अभी तक 71 करोड़ रूपयों में से मात्र 49 करोड़ रुपये ही आबंटित किये गए हैं जबकि अब तक पूर्ण धनराशि का आबंटन सुनिश्चित होना चाहिए था। यही स्थिति प्रदेश के अन्य जनपदों की है तथा धन के आबंटन में विभागीय अधिकारियों द्वारा अनियमितताएं बरती जा रही हैं। किसानों की भूमि का जो हिस्सा है, उसके अनुसार चेकों का वितरण नहीं हो पा रहा है। उदाहरणार्थ सरसौल ब्लॉक, कानपुर नगर में एक ही परिवार के बराबर के हिस्सेदार को अलग-अलग राशि के चेक दिये जा रहे हैं। अभी भी किसानों की जो सदमें से मौत हो रही है, उसे प्रशासन द्वारा स्वाभाविक मौत बताकर आर्थिक सहायता प्रदान नहीं की जा रही है। किसानों के साथ अभी भी न्याय नहीं हो रहा है। असंचित फसलों यथा-लाही, अरहर एवं चना आदि पर मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। यह कहा जा रहा है कि यह फसलें बर्बाद नहीं हुई हैं। भारत सरकार द्वारा मुआवजा राशि डेढ़ गुना बढ़ाये जाने के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार किसानों को पुराने रेट 9 हजार रुपये हैवटेयर संचित एवं 4500 रुपये हैवटेयर असंचित रकमे के हिसाब से भुगतान किया जा रहा है जो किसानों के साथ अन्याय है।

अतः मेश केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र अकबरपुर (उत्तर प्रदेश) के अंतर्गत कानपुर नगर एवं कानपुर देहात जनपद के किसानों को आपदा धनराशि का आबंटन जल्द से जल्द कराये जाने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें। साथ ही, इन परिस्थितियों में किसानों के सभी बकाया ऋण एवं सिंचाई तथा विद्युत के बकाया बिल तत्काल माफ किये जाएं एवं अन्य देयों की वसूली स्थगित की जाए। आने वाले समय में खरीफ एवं रबी की फसलों के लिए किसानों की आर्थिक तंगी को देखते हुए खाद एवं बीज की समय पर नःशुल्क व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, जिससे किसानों को लाभ मिल सके।